

विषय:-

वर्ष 2023-24 की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट बारे ।

हरियाणा सिविल सचिवालय के कर्मचारियों की वर्ष 2023-24 (1.4.2023 से 31.3.2024 तक) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अप्रैल, 2023 से लिखी जानी है । इस सम्बन्ध में सलंगन प्रोफार्मा (भाग-1 से 3) में दिए गए अनुसार हरियाणा सिविल सचिवालय के कर्मचारियों की संबंधित सूचना अपेक्षित है:-

1. संयुक्त सचिव/उप सचिव (संयुक्त निदेशक/उप निदेशक) केवल एच.एस.एस. काडर ।
2. अवर सचिव (प्रशासकीय अधिकारी या समकक्ष) केवल एच.एस.एस. काडर ।
3. विशेष कार्यकारी अधिकारी (केवल सचिवालय काडर पर) ।
4. अधीक्षक/मैनेजमेंट कंसलटेंट/वित्तीय सलाहकार/कार्मिक सलाहकार ।
5. उपाधीक्षक ।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/लेखाकार ।
7. सहायक ।
8. लेखा परीक्षक/वरिष्ठ लेखा परीक्षक ।
9. पुस्तकाध्यक्ष/सहायक पुस्तकाध्यक्ष ।
10. सांख्यिकीय सहायक ।
11. प्रवर/अवर अनुवादक ।
12. एक्स काडर सहायक ।
13. सहायक अनुसंधान अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी / वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ।
14. उप/सहायक जिला न्यायवादी ।
15. जूनियर इंजीनियर/अनुभाग अधिकारी ।
16. तकनीकी सहायक ।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त यदि कोई अन्य पदधारी, अधीनस्थ कार्यरत हो तो उसके बारे भी सूचना अपेक्षित होगी ।

3. अनुरोध है कि अपेक्षित सूचना स्थापना-1 शाखा में दिनांक 28.03.2024 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए ताकि समय पर गोपनीय रिपोर्ट लिखवाई जा सके ।

4. सचिव राजभवन, हरियाणा /हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और अन्य बाह्य संवर्ग पद पर हरियाणा सिविल सचिवालय के कार्यरत कर्मचारियों की, वहां पर स्थित स्थापना शाखाओं से अनुरोध किया जाता है कि वर्ष 2023-24 की समयावधि के दौरान कार्यरत हरियाणा सिविल सचिवालय के कर्मचारियों की सूची के साथ, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पूर्ण करवाकर सचिवालय स्थापना को भेजने का कष्ट करे ।

5. हरियाणा सिविल सचिवालय की विभिन्न शाखाओं तथा मंत्रीगण/उच्च अधिकारियों के अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष 2023-24 की समयावधि के दौरान कार्यरत हरियाणा सिविल सचिवालय के कर्मचारियों की सूची तथा उनके रिपोर्टिंग/समीक्षा/स्वीकृत प्राधिकारी की सूचना सलंगन प्रोफार्मा (भाग-1 से 3) अनुसार सचिवालय स्थापना में अतिशीघ्र भेजे ।

यदि किसी कार्यालय/शाखा की सूचना दिनांक 28.03.2024 तक सचिवालय स्थापना में प्राप्त नहीं होती है, तो संबंधित शाखा/कार्यालय, तदनुसार, उसमें कार्यरत कर्मचारियों की सूची के साथ, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पूर्ण करवाकर सचिवालय स्थापना को भेजने का कष्ट करे ।

-sd-

अधीक्षक स्थापना शाखा-1,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव/विशेष प्रधान सचिव/ उप प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं प्रधान विशेष कार्यकारी अधिकारी/विशेष कार्यकारी अधिकारी/सलाहकार/मुख्यमंत्री/निजी सचिव/मुख्यमन्त्री निवास ।
2. सभी मन्त्रियों/राज्य मन्त्रियों/ मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिवों के वरिष्ठ विशेष निजी सचिव/ वरिष्ठ निजी सचिव/ निजी सचिव ।
3. सचिव, लोकायुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
4. सदस्य सचिव, हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइसिज/ सदस्य सचिव ।
5. हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी संयुक्त सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव/अधीक्षक/उपाधीक्षक एवं अन्य शाखा इन्चार्ज ।
6. विशेष कार्य अधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी/ आर.वी.ए. तथा परिचालन सहायक ।
7. निजी सहायक/विपक्ष के नेता ।

...पेज/2



अशा: क्रमांक 06/01/2022-4स्था -1


-2-

दिनांक चण्डीगढ, 11 मार्च, 2024

दिनांक चण्डीगढ, 11 मार्च, 2024

अशा: क्रमांक 06/01/2022-4स्था -1
एक प्रति (संलग्न प्रोफार्मा) निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि उनके अधीन कार्य कर रहे सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित आवश्यक सूचना तुरन्त (दिनांक 28.03.2024 तक) अवश्य उपलब्ध करवा दें:-

1. महाधिवक्ता, हरियाणा, चण्डीगढ ।
2. सचिव, राज्यपाल, हरियाणा, चण्डीगढ ।
3. अध्यक्ष, गुरुद्वारा, चुनाव आयोग, हरियाणा, चण्डीगढ ।
4. जांच अधिकारी, चौकसी विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ ।
5. सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, चण्डीगढ ।
6. सचिव, स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान समिति ।
7. निदेशक, अल्प बचतें, हरियाणा, चण्डीगढ ।
8. अवर सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा, सैक्टर-12, पंचकूला ।
9. अवर सचिव, हरियाणा सरकार, हरियाणा भवन, कॉपर निकस मार्ग, नई दिल्ली ।
10. निजी सचिव/ मुख्य सूचना आयुक्त, हरियाणा चण्डीगढ ।
11. निजी सचिव/ आयुक्त, सेवा अधिकार आयोग, हरियाणा चण्डीगढ ।


अधीक्षक स्थापना-1,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

....
(भाग-1)

इस भाग में कार्यालय/शाखा में कार्य कर रहे कर्मचारियों बारे सूचना देनी है जिन्होंने वर्ष 2023-24 में पूर्ण वर्ष/तीन माह से अधिक समयावधी से कार्य कर रहे हैं।

क्र०	कर्मचारी तथा उसके पिता का नाम	वर्तमान कार्यालय/शाखा में तैनाती की तिथि	माध्यम जिससे कर्मचारियों का कार्य गुजरता है (नाम, पद संज्ञा व अवधि)	अधिकारियों के नाम वर्ष के दौरान स्थानान्तरण तिथियों के साथ
1.	2.	3.	4.	5.
1.			1 रिपोर्टिंग प्राधिकारी:- 1. 2. 3. 2 समीक्षा प्राधिकारी:- 3 स्वीकृत प्राधिकारी:-	

(भाग-2)

इस भाग में उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में सूचना दी जानी है जिन्होंने वर्तमान शाखा में तीन माह से कम समयावधी में कार्य किया हो ।

क्र०	कर्मचारी तथा उसके पिता का नाम	कार्य अवधि दिनांक.....से.....तक	शाखा का नाम जहां कर्मचारी का स्थानान्तरण हुआ है तथा स्थानान्तरण की तिथि
1.	2.	3.	4.

(भाग-3)

इस भाग में उन कर्मचारियों की सूचना दी जाये जिन्होंने वर्ष 2023-24 में कार्यालय/शाखा में तीन माह या अधिक समयावधी तक कार्य किया हो तथा अब इस शाखा से बदल गये हों ।

क्र०	कर्मचारी तथा उसके पिता का नाम	कार्यालय/शाखा में कार्य अवधि दिनांक.....से.....तक	शाखा का नाम जहां कर्मचारी का स्थानान्तरण हुआ है तथा स्थानान्तरण की तिथि
1.	2.	3.	4.